Minutes of Meeting of 3rd State Level Sanctioning Committee (SLSC) of UIDSSMT held under the Chairmanship of Principal Secretary, Urban Development, and Government of U.P. on 16-7-2007

The following officers were present in the meeting:

1. Shri Navneet Sahgal Secretary, Department of. Urban Development Govt. of U.P
2. Shri R.K. Chaturvedi, Director (IT), Ministry of Urban Development, Govt. of India, New Delhi
3. Shri Ram Krishna, Director, Local Bodies.
4. Shri S.P.Misra, Special Secretary, Urban Development
5. Shri Mukesh Mittal Special Secretary, Department of Finance U.P
6. Shri M.L. Chotani, TCPO, Town and Country Planning Organization, Govt. of India, New Delhi
7. Shri J.N. Barman, Joint Director, NCR Planning Board, Govt. of India New Delhi
8. Prof. Nishith Rai, Director, Regional Centre for Urban & Environmental Studies, Lucknow.
9. Shri K.K. Agrawal, Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow
10. Shri Vipin Kumar Dwivedi Nagar Ayukat Aligarh.
11. Geeta Misra Deputy Secretary, Department of P.W.D
12. Smt. Ajanta; Research Officer, Department of Planning.
13. Shri Onkar Singh, Chief Engineer Bhawan, Lucknow
14. Shri A.K Gupta Chief Engineer Local Bodies.Govt. of U. P.
15. Shri B.M.L Agrawal Chief Engineer U.P Jal Nigam(Gorakhpur).
16. Shri Radha Kant Dwivedi, Executive Engineer, Jal Nigam , Jaunpur.
17. Shri G.P. Upadhyay , Assistant Engineer Nirman khand, Jal Nigam, Jaunpur
18. Shri V.V.L.N Sharma Town Planner Town and Country Planning Department.
19. Shri Brijendra Kumar Assistant Engineer, U.P Jal Nigam, Lucknow
20. Dr. S.R. Singh, Executive Engineer, Jal Nigam, Sitapur
21. Shri R.K. Upadhyay Assistant Engineer Nirman khand, Jal Nigam Varanasi.
22. Shri Vinod Kumar, Executive Engineer, Jal Nigam Barabanki.
23. Shri S.K. Verma, Executive Engineer, Jal Nigam, Auraya.
24. Shri Y.P.Singh, Executive Engineer, Jal Nigam, Ghaziabad
25. Shri Dharmendra Kanojia, Executive Engineer, Jal Nigam Bahraich.
26. Shri Yogesh Kumar Sharma, Assistant Engineer, Jal Nigam, Bulandshar

27. Shri S.P.Agrawal, Assistant Engineer, Jal Nigam, Bulandshahar
28. Shri Arvind Sapre, Assistant Engineer, Jal Nigam, Jhansi
29. Shri C.S.Porwal, Executive Engineer, Jal Nigam Kannauj.
30. Shri Khalid Ahmad, Assistant Engineer, Jal Nigam, Hathras.
31. Shri S.K. Sharma, Assistant Engineer, xi devision,U.P. Jal Nigam, Moradabad
32. Shri K.K. Awasthi, Executive Engineer, Ist. Project devision, Gorakhpur.
33. Shri U.S. Vaish, Executive Engineer, Covet.Devision U.P. Jal Nigam Muzaffarnagar.
34. Shri N.C. Gupta. Executive Engineer, Ist C.D; U.P. Jal Nigam Ghaziabad.
35. Shri Ashok Kumar. Addl.Municipal Commissioner Bareilly.
36. Shri A.K. Singh. Executive Engineer, C.D, U.P. Jal Nigam, Shahjahanpur
37. Shri R.M. Kant. Executive Engineer, T.C.D, U.P. Jal Nigam, Mainpuri.
38. Shri Mohd,Tahir, C.D, U.P. Jal Nigam,Baghpat
39. Shri .Neeraj, Assistant Engineer C.D,Sambhal(Moradabad)
40. Shri. S.C.Dikshit , Assistant Engineer C.D Jal Nigam Amroha
41. Shri .Rajendra Singh Jal Nigam A.E.C.D. Jal Nigam Kannauj
42. Shri .V.P.Singh, Jal Nigam A.E.C.D. Jal Nigam Kannaug
43. Shri .Yogesh Raizada, Jal Nigam A.E.C.D. Jal Nigam Etawath.
44. Shri .S.K.Singh., Jal Nigam A.E 8th Division C.D. Jal Nigam Etawah
45. Shri .S.K.Gupta, Jal Nigam A.E.C.D. Jal Nigam Etawath
46. Shri .A.N.Updhyay, Jal Nigam A.E.C.D. Jal Nigam Ghazipur.
47. Shri .D.K.Gupta, Jal Nigam A.E.C.D. Jal Nigam Gorakhpur
48. Shri .RajeshvarSingh, Jal Nigam A.E.C.D. Jal Nigam Sant Kabhir Nagar
49. Shri .Iqckbal Anshari, Jal Nigam A.E.II C.D. Jal Nigam Gazipur.

The meeting began with the permission of Chairperson. Director, Local Bodies, welcomed all participants to the meeting and introduced the officers from Government of India.

1. The Directorate of Local Bodies has been designated as the State Level Nodal Agency (SLNA) for UIDSSMT. Under this scheme, SLNA received 37 Detailed Project Reports (DPRs) from various Urban Local Bodies. 6 DPR were related to Solid Waste Management, 18 DPRs were related to Water Supply, 3 DPRs were related to Sewerage, 6 DPR were related to slaughter house, 2 DPR were related to drainage and 2 DPR related to Development of Roads of inner city. Director, Ministry of Urban Development, Government of India told the committee that Rs 103 crores has been allocated for Uttar Pradesh this year under the scheme and projects worth 3 times this amount

may be submitted to the Ministry. Joint Director, NCR Planning B and told the committee that the NCR board would consider giving loans to ULBs or the State Government in respect of the 10% share that is to be put up by the ULB and the State Government. The NCR board would consider giving loan upto 75% of the said amount. The interest rate charged is 7% p.a. However, certain incentives are also given and the effective rate of interest works out to 5.5% p.a.

2. The committee discussed Solid Waste Management Projects of 6 towns. The projects have been made as per MSW Rules 2000 taking into consideration the existing infrastructure in the towns. Norms laid down in the Manual on Solid Waste Management have been followed. It was told that land for land fill site is available at Loni, Mirzapur, Fatehpur, Jaunpur and Barabanki. The committee approved the SWM Projects of Loni for Rs. 1181.28 lacs, Mirzapur for Rs. 1100.87 lacs, Fathepur for Rs. 937.93 lacs, Jaunpur for Rs. 1220.39 lacs and Barabanki for Rs. 537.43 lacs. Committee deferred the project of conversion of plastic waste into Hydro carbon at Rampur. The committee discussed the Rampur project, and found that this technology is new and requires further clarification.

3. The committee discussed Water Supply Projects of 18 towns. The committee found that the Water Supply Schemes of Khurja (Bulandshahar), Laharpur (Sitapur), Faizabad, Muzzafarnagar, Nanpara (Baharaich), Hapur, Ghaziabad), Modinagar (Gaziabad), Baruasagar, Loni (Gaziabad) to be in order. Committee sanctioned water supply schemes of Khurja for Rs 1263.81 Lacs, Laharpur for Rs. 178.25 Lacs, Faizabad Rs. 1880.82 Lacs, Muzzafarnagar for Rs.3214.33 Lacs, Nanpara (Baharaich) for Rs. 237.78 Lacs, Hapur (Gaziabad) Rs. 2848.96 Lacs, Modinagar (Ghaziabad) for Rs. 2379.17 Lacs, Barua sagar (Jhansi) for 718.62 Lacs and Loni (Ghaziabad) for 4913.63 Lacs. as per guidelines of UIDSSMT. It was brought to the notice of committee that DPR of Jaunpur only covers the Trans Gomti area of Jaunpur, therefore Chairman directed M.D. Jal Nigam to revise the D.P.R. with an integrated approach for the whole city. Committee deferred proosals for the other water supply schemes because one scheme has already been sanctioned in these towns.

4. The committee discussed the Sewerage Projects of Badaun, Shahjahanpur and Etawah towns and found that they were technically correct but very costly. The funds could be better utilized if a number of towns be covered under the same quantum of funds. These project were therefore deferred. It was agreed in principle that sewerage schemes should be considered only for those towns that have adequate water supply or where projects for water supply are being implemented under this scheme or any other scheme.

5. The committee discussed the Drainage Project of Hathras town and found that they were as per the guidelines of UIDSSMT but very costly. Chairman directed the M.D. Jal Nigam to review the DPR and submit a revised project.

6. The committee discussed the project for Development of Roads for inner city of Basti and Tilhar. The road project of Tilhar is not as per the guidelines of UIDSSMT. Committee discussed the road project of Basti and sanctioned the above project with the condition that execution of this project will be done by state expert agency.

7. The committee discussed the slaughter house projects of 6 towns. The committee deferred all the projects in anticipation of fresh guidelines from the State Government on construction upgradation of slaughter houses.

8. Director, Local Bodies pointed out that the guidelines of UIDSSMT contain provision of 1.5% for preparation of DPR, 1.5% for Training and Capacity Building, 1% for Bringing about Efficiency and 1% for Adoption of Innovative Approaches. This amount would be released to the concerned local body as Additional Central Grant. However, Director, Ministry of Urban Development, explained that 1.5% for preparation of DPR and 1.5% for Training and Capacity Building would be made available after sanctioning of funds for the projects, but remaining 3% would be released only after [illegible] that implementation of the project is being done according to the norms. The committee approved 3% of the funds to be released as Additional Central Grant.

9. Director, Ministry of Urban Development, Government of India pointed out that this scheme is to be implemented within a given time frame. No extension of time would be given. Additional funds due to time and cost over-runs would not be sanctioned by Government of India. It was suggested that the tender documents should contain penalty clauses so that any over-runs are duly taken care of.

10. Director, Ministry of Urban Development, also pointed out that projects worth Rs. 239.93 crores had been approved in the second meeting of SLSC and projects worth Rs. 345.24 crores were approved in the first meeting, which makes a total of projects worth Rs. 585.17 crores. Since funds under the scheme are limited the state government should prioritise the projects and inform Government of India accordingly.

- Sanctioned projects as per annexure -I

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

Annexure-1

A- List of projects sanctioned by the SLSC

SL.No.	ULB	Component Submitted by U.L.B.	Cost of Project (Rs. In Lacs)
1	Nagar Palika parishad Loni	Solid waste Management Scheme	1151.28
2	Nagar Palika parishad Mirzapur	Solid waste Management Scheme	[illegible]
3	Nagar Palika parishad Fatehpur	Solid waste Management Scheme	[illegible]
4	Nagar Palika parishad Jaunpur	Solid waste Management Scheme	1330.39
5	Nagar Palika parishad Barabanki	Solid waste Management Scheme	[illegible]
6	Nagar Palika parishad Khurja (Bulandshahar)	Augmentation of water supply scheme	[illegible]
7	Nagar Palika parishad Laharpur (Sitapur)	Augmentation of water supply scheme	[illegible]
8	Nagar Palika parishad Faizabad	Augmentation of water supply scheme	[illegible]
9	Nagar Palika parishad Muzzafarnagar	Augmentation of water supply scheme	[illegible]
10	Nagar Palika parishad (Nanpara)Bahraich	Augmentation of water supply scheme	[illegible]
11	Nagar Palika parishad Hapur	Water suppply scheme	[illegible]
12	Nagar Palika parishad ModiNagar	Water suppply scheme	[illegible]
13	Nagar Palika parishadBarua sagar	Water suppply scheme	[illegible]
14	Nagar Palika parishad Loni	Water suppply scheme	[illegible]
15	Nagar Palika parishad Basti	Constructions of Roads	[illegible]
	Total		[illegible]

Minutes of Meeting of IVth State Level Sanctioning Committee (SLSC) of UIDSSMT held under the chairmanship of Principal Secretary, Urban Development and Government of U.P. on 13.09-2007.

The following officers were present in the meeting.

1. Sri R.K. Chaturvedi, Director (IT), Ministry of Urban Development, Govt. of India, New Delhi.
2. Sri Rajeev Kapoor, Secretary Finance, Govt. of U.P.
3. Smt. Aradhana Shukla, Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P.
4. Sri Ram Krishna, Director, Directorate of Local Bodies, Government of U.P.
5. Sri S.P. Mishra, Special Secretary, Nagar Vikas Government of U.P.
6. Sri Sushil Kumar, Director, SUDA.
7. Sri. V.K. Chaurasiya, Assistant Adviser, CPHEEO Ministry of Urban Development, Govt. of India.
8. Sri J.N. Barman, Joint Director, NCR Planning Board Govt. of India, New Delhi.
9. Sri. M.L. Chotani, TCPO, Town and country Planning organization, Govt. of India, New Delhi.
10. Sri Nishith Rai, Director, Regional Centre for urban &-Environmental studies, Lucknow.
11. Sri N.R. Verma, Chief Town planner, Town and Country Planning Departn ent of U.P.
12. Sr C P. Sharma, Town Planner, Town and country planning Department of U.P.
13. Sri K.K. Agarwal, Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
14. Sri A.K. Gupta, Chief Engineer, Directorate of Local Bodies, Govt. of U.P.
15. Geeta Mishra, Deputy Secretary, Lok Nirman.
16. Sri Onkar Singh Kadam, Chief Engineer (Bhawan) Lok Nirman Vibhag.
17. Sri Vijay Kant Dube, Municipal Commissioner, Nagar Nigam Gorakhpur.
18. Sri Dinesh Kumar Singh, Municipal Commissioner, Nagar Nigam Muradabad.
19. Sri Pawan Kumar Gupta, Chairman, Nagar Palika parishad Baghpat.
20. Sri Sunil Kumar Singh, Executive Officer, Nagar Palika parishad, Baghpat.
21. Sri Arvind Kumar, Assistant Engineer, Jal Nigam Gorakhpur.
22. Sri V.K. Jha, Executive officer, Nagar palika parishad, Sambhal.
23. Sri Laxman Singh, Jal Kal Abhiyanta, Nagar palika parishad, Sambhal.

24. Sri. A.K. Pandey, Avar Abhiyanta, Nagar palika parishad. Sambhal.
25. Sri Nagina Singh, Nagar palika parishad. Khalilabad.
26. Sri I.A. Ansari, Executive Engineer, Jal Nigam, Gazipur.
27. Sri A.N. Upadhyaya, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam.
28. Sri Jay Krishna Kamwal, Executive Engineer, U.P. Jal Nigam.
29. Sri B.L. Gautam, Superintending Engineer, U.P. Jal Nigam.
30. Sri Kripal Singh, Superintending Engineer, Jal Nigam, Meerut
31. Sri Rakesh Singhal, Executive Engineer, U.P. Jal Nigam.
32. Sri R.K. Updhyaya, Assistant Engineer, Barabanki U.P. Jal Nigam.
33. Sri Rakesh Chaudhary, Executive Engineer, U.P. Jal Nigam.
34. Sri Hans Raj, Executive Engineer, U.P. Jal Nigam.
35. Sri Babu Ram, Executive Engineer, U.P. Jal Nigam.
36. Sri G.S. Mishra, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam.
37. Sri Brijendra Kumar, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam.
38. Sri. K.K. Srivastava, Executive Engineer, U.P. Jal Nigam.
39. Sri Mahendra Kumar, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam.
40. Sri B.P. Dhawan, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam.
41. Sri. S.P. Sharma, Executive Engineer, U.P. Jal Nigam.
42. Sri Ramesh Chandra, Project Abhiyanta, U.P. Jal Nigam
43. Sri Ajay Rastogi, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam.
44. Sri Devendra Kumar, Superintending Engineer, Lok Nirman Vibhag.
45. Sri Shushil Kumar Sharma, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam.
46. Sri Niraj Agarwal, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam Muradabad.
47. Sri Sanjay Kumar, Executive Engineer, U.P. Jal Nigam, Muradabad.
48. Sri R.K. Singh, Jal Kal Abhiyanta Nagar Palika Parishad, Amroha.
49. Sri S.C. Dixit, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam, J.P. Nagar
50. Sri D.S. Tripathi, Assistant Engineer, Directorate of Local Bodies, Govt. of
51. Sri Balvira Singh, Executive Officer, Nagar palika parishad, Chitrakoot.

The Meeting began with the permission of Chairman; Director local Bodies welcomed all participants to the meeting and introduced the officers from Government of India.

1. Chairman of SLSC Directed that the detailed Project Reports (DPR) which were considered by the State level Sanctioning Committee should include the active participation of the concerned urban local body.

2. The Chairman also suggested that the progress report of proposals which were approved at the previous meeting of State level sanctioning committee. (SLSC) should also be placed at its subsequent meeting along with financial detail of the amounts released to the State level Nodal Agency by the Central and the State Govts., and the contribution of the concerned ULB.

3. The Director (UIDSSMT) on the Ministry of U.D., G.O.I. expressed the desire that besides the approval of the Project, the detail of the progress of the mandatory and optional reforms indicated in MOA signed between the Central Govt., State Govt. and the ULB, should also be given in the subsequent meeting of the S.L.S.C.

4. The representative of the NCR Planing Board, New Delhi suggested that the share of the state and ULB contribution of those ULB. of U.P. situated in the NCR region in the projects approved under the UIDSSMT scheme could be made available to them in the form of a soft loan from the NCR Planning Board

5. The representative of the Town and Country Planning Organisation, New Delhi informed that the format of the quarterly progress report of this project has been prepared and sent to all the State Govt. It was also suggested that the details of the progress of the Project approved under the scheme should be made available to the GOI within 15 days. He also apprised the Members that the Central share of the UIDSSMT scheme during the Mission period was Rs. 947.00 Crore against which project amounting to approximately Rs. 1200 Crore were approved by the Central Govt. He also informed that till date an amount of Rs. 242.00 Crore approx. had been released to the Govt. of U.P. as the1st instalment of Central share, since these projects had been approved by the first & second meetings of the S.L.S.C.

6. The Secretary, Finance, Govt. of U.P. expressed the view that a copy of the Appraised Report should be made available to the members of the State Govt. 15 days in advance, just as in the case of members of the Central Govt. Besides, the Appraisal Report should contain the complete details of the cost of operation and maintenance. He also suggested that CDP (City Development project) should be prepared in the case of other cities on the similar pattern as the CDP prepared for the cities selected under the JNNURM scheme. The Chairman directed that the CDP should also be prepared by all the Nagar Nigam which is not covered by the JNNURM scheme, in the first phase itself.

7. The Chief Engineer, Local Bodies informed the Committee that only 12 Projects have been received by the State-level Nodal Agency, out of which 9 are related to water supply and one each to Drainage, sewerage and solid waste management. The total cost of all these projects was Rs. 19382.0 lakh, which was later revised to Rs. 16948.83 Lakh after their appraisal.

8. The project-wise discussions of the 9 projects relating to water supply were held during the Meeting. The water supply project relating to Moradabad was designed keeping the entire city in mind, and the future requirements of the city for the next 30 years. Thus the committee approved a sum of Rs. 3719.24 lakh for Moradabad. It also approved the drinking water supply projects for Gorakhpur, Ghazipur, Sambhal and Baghpat. The Committee directed that designs of the drinking water supply project of Amroha, Khalilabad, Fatehpur, Barabanki, Dariyabad (Barabanki) should be based on the 70 lpcd instead of the 135 lpcd criteria since there is no provision of sewerage system in these towns. Hence, the committee advised the revision of these projects accordingly.

9. The Committee also directed that the project relating to drainage of Chandeshwar Dham, Karvi should be revised, since it was not based on the data of rainfall received by the city during the last 30 years.

10. The Committee directed that the project proposal relating to sewerage of Ghazipur should be revised, since it was not based on the prevailing current schedule of rates and it did not cover the entire area of the city.

11. The Committee held that the project relating to solid waste management of Jaipur should be appraised by the Govt. of India and thereafter placed in the next meeting of the SLSC.

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

Annexure-1

A- List of Projects Sanctioned by the SLSC

SL.No.	ULB	Component Submitted by U.L.B.	Cost of Project (Rs. in lacs)
1	Nagar Nigam Moradabad	Water Supply Scheme	3719.24
2	Nagar Nigam Ghorakhpur	Water supply Scheme	1598.85
3	Nagar Palika Parishad Baghpat	Water supply Scheme	318.15
4	Nagar Palika Parishad Ghazipur	Water supply Scheme	581.55
5	Nagar Palika Parishad Sambhal (Moradabad)	Water supply Scheme	401.20
	Total		6619.11

Minutes of Meeting of 5th State Level Sanctioning Committee (SLSC) of UIDSSMT held under the chairmanship of Principal Secretary, Urban Development, Government of U.P. on 1.10.2007.

The following officers were present in the meeting.

1. Smt. Aradhana Shukla, Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P.
2. Km Rekha Gupta, Director, Directorate of Local Bodies, Government of U.P.
3. Sri S.P. Mishra, Special Secretary, Nagar Vikas Government of U.P
4. Sri. Anil Bhatnagar, Town Planner, Town and country planning Department of U.P.
5. Sri A.K. Gupta, Chief Engineer, Directorate of Local Bodies, Govt. of U.P.
6. Sri K.K. Agarwal, Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
7. Sri R.L Arora, Executive Engineer, Jal Nigam, Gaziabad.
8. Sri Lalu Under Secretary Department of Finance Govt.of U.P.
9. Sri Y.S Negi, Superintending Engineer, U.P. Jal Nigam.
10. Sri Maharaj Singh, Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam, J.P. Nagar.
11. Sri D.S. Tripathi, Assistant Engineer, Directorate of Local Bodies, Govt. of U.P.
12. Sri Ajay Swaroop Srivastava Sr. Research Officer Planning Department Govt.Of U.P
13. Sri. R.L Saroj Executive Engineer G.D.A Gazia.bad

The Meeting began with the permission of chairman. Director local Bodies welcomed all participants to the meeting

1- Special Secretary (Urban Development) informed the committee that Director (UIDSSMT) representative of Govt. of India is unable to attend the SLSC meeting but he has telephonically conveyed his consent on proposal of the meeting.

2- The Chief Engineer, Local Bodies informed the Committee that Loni Sewerage scheme was discussed in 2nd SLSC meeting and deferred because project cost was very high . The funds could be better utilized if a number of towns be covered under the same quantum of funds . It was agreed in principle that sewerage scheme should be considered only for those towns that have adequate water supply. Water supply scheme of Loni town has since been approved in third SLSC.

3- M.D Jal Nigam informed the Committee that Hon'ble Supreme Court has directed the State Govt. to treat the sewerage of Indirapuri Drain which caters to sewerage discharge of Loni Town accordingly phasing of earlier submitted project has been done. In order to prevent the pollution in river Yamuna, tapping of Indirapuri drain and its treatment has been taken in revised proposal. Committee discussed revised proposal of Indirapuri drain and agreed in principle to sanction the project of Rs 8507.29 Lacs.. Committee felt that financial condition of Nagar Palika Parishad Lont is not sound therefore 10% of ULBs share and O/M of S.T.P should be met by G.D.A because project area is also a part of Gaziabad Development area.

The meeting ended with vote of thanks to the chair

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 03.03.08 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति-

1- श्रीमती आराधना शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2- सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
3- श्री सुशील कुमार, निदेशक, सूडा।
4- श्री एच.एन.पी. कुशवाहा, अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग।
5- श्री ज्ञान प्रकाश बाजपेई, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, लखीमपुर।
6- श्री बीबीएलएन शर्मा, टाउन प्लानर, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ।
7- श्रीमती अंजता देवी, रिर्सच अफिसर, नियोजन विभाग, लखनऊ।
8- श्री ए.के. गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
9- श्री सूरज लाल, मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
10- श्री बी.एल. गौतम, मुख्य अभियंता, जल निगम, गोरखपुर।
11- श्री डी.के. सिंधल, अधीक्षण अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
12- श्री विनय पाल, अधीक्षण अभियंता, जल निगम, बरेली।
13- श्री के.के. सिंह, अधीक्षण अभियंता-।।।, उ.प्र. जल निगम।
14- श्री एन.के. पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, द्वितीय मण्डल, जल निगम, इलाहाबाद।
15- श्री राकेश सिंघल, अधिशासी अभियन्ता, एनयूआरएम, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
16- श्री राम लगन, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम फरूर्खाबाद।
17- श्री आर.एस. श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम, लखीमपुर खीरी।
18- श्री राम लगन, अधिशासी अभियंता, उ.प्र. जल निगम।
19- श्री वी.के. श्रीवास्तव, अधि. अभियंता, जल निगम, संतकबीरनगर।
20- श्री आर.एस. श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, उ.प्र. जल निगम, खीरी।
21- श्री ए.के. दुबे, अधि. अभियंता, जल निगम, फैजाबाद।
22- श्री हरपाल सिंह, सहायक अभियन्ता उ.प्र. जल निगम, पीलीभीत।
23- श्री मो. तकी, सहायक अभियंता, उ.प्र. जल निगम, बदायूँ।
24- श्री जी.सी. श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, जल निगम, लखीमपुर-खीरी।
25- श्री राजेश खरे, सहायक अभियंता, निर्माण खण्ड, जल निगम, प्रतापगढ़।
26- श्री के.आर. निषाद, सहायक अभियंता, जल निगम, बलिया।
27- श्री के.पी. धवन, सहायक अभियंता, जल निगम, संतकबीरनगर।
28- श्री राकेश कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम, फैजाबाद।
29- श्री पी के त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फरूर्खाबाद।
30- श्री आर.के. त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका फर्रूखाबाद।
31- श्री एस.के. सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लखीमपुर।
32- श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जलकल अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, लखीमपुर।
33- श्री विवेकानन्द सिंह, अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद।
34- श्री भैया लाल, अवर अभियंता, उ.प्र. जल निगम, फैजाबाद।

बैठक में समिति के समक्ष छठी बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में मुख्य अभियन्ता स्थानीय निकाय द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं, जिनके सापेक्ष धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी हैं, की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं टाउन

एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्जेनाइजेशन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध करा दी गई है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम बैठक में, जिन नये नगरों की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उन नगरों का एम0ओ0ए0 सम्पादित कर लिया गया है तथा अनुबन्ध की प्रति शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्जेनाइजेशन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध करा दी गई हैं।

2- बैठक में निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा समिति के समक्ष निम्नलिखित 07 परियोजनायें प्रस्तुत की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजनाओं का मूल्यांकन वित्त एवं व्यय समिति से कराये जाने के उपरान्त परियोजनाओं की डी0पी0आर0 एवं अप्रेजल रिपोर्ट भी 12 फरवरी 2008 को भारत सरकार को उपलब्ध कराई जा चुकी है। बैठक में परियोजना व सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया तथा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

(1) बीसलपुर (पीलीभीत) पेयजल योजना पर विस्तृत रूप से विचार किया गया तथा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह नगर जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय नहीं तथा नगर में पेयजल के कनेक्शनों की संख्या भी संतोषजनक नहीं है। इसलिये योजना का स्थलीय सत्यापन स्थानीय निकाय निदेशालय के सक्षम अधिकारी से करा लिया जाये तथा समिति की आगामी बैठक में योजना को प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)

(2) समिति द्वारा लखीमपुर पेयजल योजना हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 1209.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) समिति द्वारा प्रतापगढ़ पेयजल योजना हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 859.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(4) खलीलाबाद (संतकबीरनगर) पेयजल योजना पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया तथा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नगर में पेयजल के कनेक्शनों की संख्या संतोषजनक नहीं है। इसलिये योजना का स्थलीय सत्यापन स्थानीय निकाय निदेशालय एवं जल निगम के के सक्षम अधिकारियों से करा लिया जाये तथा समिति की आगामी बैठक में योजना को प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही- निदेशक, स्थानीय निकाय/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ)

(5) फरूखाबाद पेयजल योजना पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया तथा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नगर पालिका परिषद फर्रूखाबाद द्वारा 03 वर्ष की आय और व्यय का एस0एल0एन0ए0 द्वारा परीक्षण किया जाय एवं योजना का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त समिति की आगामी बैठक में योजना को प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)

(6) बदायूँ सीवरेज योजना का सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं जल निगम द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया तथा योजना में भूमि की उपलब्धता हेतु लगभग रू0 25.00 करोड़ की धनराशि का भी प्राविधान किया गया है। नगर पालिका परिषद, बदायूँ द्वारा भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र नही दिया गया है। योजनान्तर्गत तैयार डी0पी0आर0 में पानी की उपलब्धता 80 एलपीसीडी बताई गई हैं, जबकि जल निगम के द्वारा प्रस्तुतीकरण के समय अवगत कराया गया हैं कि वर्तमान में पेयजल की उपलब्धता 135 एलपीसीडी हैं। अतः योजना को पुनः संशोधित कराकर समिति की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(कार्यवाही- निदेशक, स्थानीय निकाय/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ)

(7) फैजाबाद ड्रेनेज योजना का प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं जल निगम द्वारा किया गया है। जल निगम द्वारा उन नालों को, जो विना एसटीपी के हैं, सरयु नदी में मिलाने का प्रस्ताव किया गया। समिति द्वारा नालों की प्रति किलोमीटर निर्माण लागत अधिक बतायी गयी। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सीमेन्ट कंकरीट के बजाय कैनाल टाईप ब्रिक लाइन का प्राविधान करके तथा एसटीपी का प्राविधान करते हुए पुनरीक्षित योजना समिति की आगामी बैठक मे प्रस्तुत की जाय।

3- बैठक में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बीसलपुर/लखीमपुर/बेला प्रतापगढ़/खलीलाबाद/बदायूँ तथा फैजाबाद उपस्थित नहीं हुए, जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी और यह निर्देश दिये गये कि संबंधित अधिशासी अधिकारी से बैठक में प्रतिभाग न किये जाने हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

अधिशासी अधिकारी, फर्रूखाबाद एवं अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद द्वारा बैठक में समिति के समक्ष अस्पष्ट एवं भ्रामक सूचना दी गयी। इस कारण प्रमुख सचिव द्वारा उनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- नगर विकास अनुभाग-5)

4- योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के समय समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि कतिपय योजनाओं के मैप आदि न होने के कारण योजना की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। अतः एस0एल0एन0ए0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति की आगामी बैठक में योजनाओं के मैप आदि के साथ प्रस्तुतीकरण किया जाय।

(कार्यवाही- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)

5- बैठक में यह भी निर्देश दिये कि योजना के प्रस्तुतीकरण के समय उस योजना से कितनी मलिन बस्तियों तथा उसमें रहने वाली जनसंख्या, लाभान्वित होगी, का भी उल्लेख में होना चाहिए।

(कार्यवाही- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

19.3

(एस0आर0 लारजा)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-1933 /नौ-5-2008-51सा/05टीसी
लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/पर्यावरण/वित्त/नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।

5. प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
6. प्रतिनिधि, आईएफ डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
7. प्रतिनिधि, योजना आयोग, भारत सरकार।
8. प्रतिनिधि, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
9. प्रतिनिधि, टी0सी0पी0ओ0।
10. प्रतिनिधि, एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड।
11. निदेशक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू), लखनऊ।
12. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13. सबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकोश मिश्र)
विशेष सचिव।

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 28–3–2008 को सम्पन्न आठवीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1– सर्वश्री नवनीत सहगल, सचिव, शहरी समग्र विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– एम0 देवराज, निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– सुश्री रेखा गुप्ता, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– ए0के0गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6– पी0सी0 गोविल, मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– सूरज लाल, मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम।
8– ओंकार सिंह कदम, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,
9– दिनेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम।
10– डी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, बदायूँ।
11– विनय पाल, सुपरिन्टेण्डेंट इंजीनियर।
12– बी0के0 निगम, अधिशासी अभियन्ता, महामायानगर (हाथरस)।
13– राम देव प्रसाद, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ज्ञानपुर।
14– दया शंकर, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम।
15– एस0के0 अवस्थी, अधिशासी अभियन्ता, कन्नौज।
16– ए0के0 सिन्हा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका कन्नौज।
17– एस0के0 तनेजा, अधिशासी अभियन्ता, देवरिया।
18– बी0के0 सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता, कुशीनगर।
19– एम0के0 चतुर्वेदी, अधिशासी अभियन्ता, श्रावस्ती।
20– बी0एल0 गौतम, मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर।
21– डा0 एस0आर0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, सीतापुर।
22– वी0एस0 गंगवार, सहायक अभियन्ता, जल निगम, सीतापुर।
23– उत्कृष्ट सिंह, अधिशासी अभियन्ता, बिजनौर।
24– एस0जी0 जैन, अधिशासी अभियन्ता, मुरादाबाद।
25– जी0पी0 शैलेन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, कौशाम्बी।
26– एन0के0 पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता, इलाहाबाद।
27– एम0एन0 प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी।
28– वी0एन0 राय, सहायक अभियनता , चन्दौली।
29– मनोज कुमार, अधिशासी अभियन्ता,
30– के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता।
31– के0एन0तिवारी, अधिशासी अभियन्ता।
32– राकेश सिंघल, अधिशासी अभियन्ता।
33– आशुतोष सिंह, सहायक अभियनता, जल निगम, महराजगंज।
34– अताउदीन खाँ, सहायक अभियन्ता, मऊ।
35– कैलाश सिंह, कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिका परिषद मऊ।
36– सौरभ सुमन, सहायक अभियन्ता, कौशाम्बी।
37– आर0के0मिश्र, अधिशासी अभियन्ता, अम्बेडकरनगर।
38– संजय कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अम्बेडकरनगर।
39– नरेश कुमार, सहायक अभियन्ता (जल) न0पा0प0 बाराबंकी।

40– मुनेन्द्र सिंह राठौर, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 नवाबगंज।
41– राकेश चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी।
42– अशोक कुमार भट्ट, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पीलीभीत।
43– रवीन्द्र नाथ, सहायक अभियन्ता, जल निगम, बाराबंकी।
44– एम0जेड0 सिद्दकी, अधीक्षण अभियनता, लोक निर्माण विभाग।
45– अजय स्वरुप श्रीवास्तव, वरिष्ठ शोध अधिकारी , नियोजन विभाग, योजना भवन।
46– के0पी0सिंह, सहायक अभियन्ता, पीलीभीत।
47– पृथ्वीराज तिवारी, अधिशासी अधिकारी,न0पा0 भिन्गा(श्रावस्ती)।
48– अनिल चन्द्रा, सुपरीन्टिडेन्ट इंजीनियर, जल निगम सहारनपुर।
49– राजीव श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी, नगर पा0 मुगुलसराय।
50– डी0के0सिंह, सुपरीन्टिडेन्ट इंजीनियर, उ0प्र0जल निगम।
51– मो0 ताहिर, सहायक अभियन्ता कन्स्ट्रकशन डिवीजन, उ0प्र0जल निगम, औरैया।
52– एन0के0 गर्ग, प्रोजेक्ट मैनेजर, मुजफ्फरनगर।
53– एस0के0 भारद्धाज, प्राजेक्ट इंजीनियर, वाटर वर्क्स यूनिट, आजमगढ़।
54– एच0एन0पी0 कुशवाहा, अनुसचिव, लोक निर्माण विभाग।
55– राम बिहारी शुक्ल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, मैनपुरी।
56– राजेश कुमार शर्मा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, औरैया।
57– बी0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, कुशीनगर।

समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो परियोजनायें प्रारम्भ हो चुकी है, उन परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को भी निर्देश निर्गत कर दिये जायें।

(कार्यवाही– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)

2– बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जहां–जहां पर परियोजनाग्रें प्रारम्भ हुयी है उन परियोजना स्थल पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड लगाये जायें, जिस पर योजना का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा यदि योजना मे गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत हो तो शिकायत दर्ज कराने की सुविधा हेतु संबंधित अधिकारियों के नाम/पदनाम दूरभाष नम्बर भी बोर्ड पर अंकित किये जायें।

(कार्यवाही– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)

3– बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो 15 प्रतिशत जलापूर्ति की मात्रा अनएकाउन्टेंड वाटर क्वान्टिटी द्वारा हानि के रुप में ली जाती है, इस मात्रा में कमी करने के उपायों के लिए प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को एक अध्ययन टीम गठित करने के निर्देश दिये गये। यह अध्ययन दल 02 माह में इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(कार्यवाही– निदेशक, स्थानीय निकाय/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4– बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा योजनाओं के अप्रेजल हेतु एक टीम गठित कर मुख्यालय स्तर पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आधार पर योजनाओं का अप्रेजल एवं परीक्षण किया जाय। तदुपरान्त ही डी0पी0आर0 स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– नगर विकास अनुभाग–5/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

5– राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण उच्च गुणवत्ता के नहीं थे। निर्णित हुआ कि भविष्य में एस0एल0एस0सी0 में प्रस्तुतीकरण से पूर्व निदेशक, स्थानीय निकाय, प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 जल निगम एवं मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय योजना की समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण बैठक से एक सप्ताह पूर्व निदेशालय में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान समस्त बिन्दुओं पर सार्थक चर्चा करके प्रस्तावों की स्वीकृति की जा सके।

(कार्यवाही– निदेशक, स्थानीय निकाय/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

6– बैठक में मूल एजेन्डा के अन्तर्गत विभिन्न विषयों की 19 परियोजनायें समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयीं। इन 19 परियोजनाओं में से जल निगम द्वारा प्रस्तुत 11 परियोजनाओं का प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षण कराया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नवत् है–

(1) <u>नगर पालिका परिषद बलरामपुर की पेयजल योजना –</u>
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद बलरामपुर की पेयजल योजना धनांक 774.250 लाख के सापेक्ष रु0 702.57 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 616.29 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(2) <u>नगर पालिका परिषद बिजनौर की पेयजल योजना–</u>
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद बिजनौर की पेयजल योजना धनांक 1498.05 लाख के सापेक्ष रु0 1273.91 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जलनिगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 1119.77 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(3) <u>नगर पालिका परिषद नवाबगंज (बाराबंकी) की पेयजल योजना–</u>
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज (बाराबंकी) की पेयजल योजना धनांक 273.70 लाख के सापेक्ष रु0 255.18 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागतमें 12.50 प्रतिशत जलनिगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 219.45 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(4) <u>नगर पालिका परिषद बदायूँ की पेयजल योजना–</u>
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद बदायूँ की पेयजल योजना धनांक 1450.361 लाख के सापेक्ष रु0 1313.84 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 1151.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(5) **नगर पालिका परिषद मऊ की पेयजल योजना–**

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद मऊ की पेयजल योजना धनांक 708.57 लाख के सापेक्ष रु0 642.44लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 555.93 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(6) **नगर पालिका परिषद अकबरपुर की पेयजल योजना–**

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा धनांक 1045.35 लाख के सापेक्ष रु0 917.04 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में योजना के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में जलापूर्ति हेतु उपलब्ध नेटवर्क के सापेक्ष जल संयोजनों की संख्या काफी कम है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पालिका द्वारा अधिक से अधिक जल सयोंजन कराने का कार्य किया जाय। तदुपरान्त ही योजना क़ो समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(7) **नगर पालिका परिषद महराजगंज की पेयजल योजना–**

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद महराजगंज की पेयजल योजना धनांक 191.25 लाख के सापेक्ष रु0 169.44 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 145.71 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(8) **नगर पालिका परिषद देवरिया की पेयजल योजना–**

प्रायोजना रचना एंवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद देवरिया की पेयजल योजना धनांक 1390.81 लाख के सापेक्ष रु0 1252.51 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 1104.06 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(9) **नगर पंचायत ज्ञानपुर की पेयजल योजना–**

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पंचायत ज्ञानपुर की पेयजल योजना धनांक 130.23 लाख के सापेक्ष रु0 117.78 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जलनिगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 101.29 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(10) **नगर पालिका परिषद भिन्गा (श्रावस्ती) की पेयजल योजना–**

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद भिन्गा (श्रावस्ती) की पेयजल योजना धनांक 176.13 लाख के सापेक्ष रु0 159.57 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जलनिगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य

नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 141.19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(11) **नगर पंचायत, चन्दौली की पेयजल योजना–**

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर नगर पंचायत, चन्दौली की पेयजल योजना धनांक 561.92 लाख के सापेक्ष रु0 509.06 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 446.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

7– बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के कमांक–12 से 19 में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकन की कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में समिति द्वारा सशर्त निर्णय लिया गया कि प्रभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि में से उ0प्र0 जल निगम के सेन्टेज में कटौती सहित निम्नलिखित योजनाओं को स्वीकृति दे दी जाय :–

(1) नगर पालिका परिषद, औरैया
(2) नगर पालिका परिषद, मैनपुरी
(3) नगर पालिका परिषद, कन्नौज
(4) नगर पालिका परिषद, पडरौना
(5) नगर पंचायत, मंझनपुर (कौशाम्बी)
(6) नगर पालिका परिषद, पीलीभीत
(7) नगर पालिका परिषद, हाथरस
(8) नगर पालिका परिषद, सीतापुर।

8– राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की समीक्षा बैठक में नोडल एजेन्सी के द्वारा पूरक एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 04 परियोजनाओं यथा– **अलीगढ़ पेयजल योजना, रार्बट्सगंज पेयजल योजना, सुल्तानपुर पेयजल योजना, सहारनपुर की पेयजल योजना** प्रस्तुत की गयी।

उक्त योजनाओं में से समिति द्वारा मात्र सहारनपुर पेयजल योजना पर विचार किया गया। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, सहारनपुर की पेयजल योजना धनांक 6148.07 लाख के सापेक्ष रु0 5510.03 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी सम्मिलित है, जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 4882.16 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

9– समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार स्वीकृत योजना लागत पर 8 प्रतिशत जो शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता 1.5 प्रतिशत डीपीआर तैयार करने 1.5 प्रतिशत प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि हेतु 01 प्रतिशत कार्य में दक्षता लाने तथा 01 प्रतिशत इनोवेटिव एप्रोच के लिए प्राविधानित किया गया है, इस पर भी परियोजनावार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

10– बैठक में संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारियों को भी सुसंगत सूचनाओं सहित भाग लेने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु न0पा0प0

बलरामपुर, बिजनौर, बदायूँ, महराजगंज, देवरिया, चन्दौली, मंझनपुर, हाथरस एवं सीतापुर के अधिशासी अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण समिति के समक्ष प्रश्नगत निकायों की परियोजनाओं का सम्यक प्रस्तुतीकरण नहीं हो सका तथा शासन का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ। समिति द्वारा इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा संबंधित अधिशासी अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

11— बैठक में प्रस्तुत परियोजनाओं के संबंध में मुख्य अभियंता (नागर), उ0प्र0 जल निगम व मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय के मध्य आपसी सामंजस्य नहीं था और न ही दोनों के आंकड़ों में एकरूपता थी। इससे प्रस्तुतीकरण के समय असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई। समिति ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों ही अधिकारियों का कार्य स्थल एक ही नगर में है, फिर भी उनके मध्य आपसी समन्वय का अभाव है। समिति के अध्यक्ष द्वारा दोनों अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही— नगर विकास अनुभाग—5)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

एस0आर0 लाखा
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग—5
संख्या— 2230 1 /नौ—5—2008—51सा/05टीसी
लखनऊ : दिनांक : 22 मई, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/पर्यावरण/वित्त/नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रतिनिधि, आईएफ डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. प्रतिनिधि, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. प्रतिनिधि, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. प्रतिनिधि, टी0सी0पी0ओ0, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. प्रतिनिधि, एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली।
11. निदेशक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एम0यू0), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
12. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13. सबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।